आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/03/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील सं0 115/2011** **रामजी सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1015/आ0 दिनांक 19/11/2011 के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 25/10/2011 को अपीलकर्त्ता के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अपीलकर्त्ता की दुकान बंद पाई गई थी और उसके बाद उनसे कारणपृच्छा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। इस मामले में अपीलकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष CWJC सं0 6741/2012 रामजी सिंह बनाम राज्य एवं अन्य दायर किया था, जिसमें दिनांक 23/1/2013 को आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इस अपील वाद के अतिशीघ्र निष्पादन का निदेश दिया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11/6/2012 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से मूल अभिलेख की माँग की गयी थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामले के निष्पादन के लिए बिना निम्न न्यायालय के अभिलेख के परीक्षण के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया जा रहा है। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश विधि के प्रतिकूल है और वैसे आरोपों पर आधारित है, जिसकी न तो जाँच की गई और जो न सत्य पाए गए। मात्र जिला पदाधिकारी के कार्रवाई के निदेश तथा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के मन्तव्य के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। स्पष्टतः यह बाह्य कारकों से प्रभावित आदेश है। राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि चूँकि इस मामले में निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि आदेश का वैधानिक औचित्य क्या है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रश्नगत आदेश पारित करने के पूर्व तर्कों एवं	

एवं साक्ष्यों की समीक्षा नहीं की गयी।

दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण करने से इतना स्पष्ट होता है कि निरीक्षण तिथि को दुकान बंद पाई गई थी। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा किसी बी0के0 हॉस्पीटल की पर्ची प्रस्तुत की गयी है, जो कदाचित यह सिद्ध करने के लिए दायर की गई है कि अपीलकर्त्ता उस तिथि को बीमार थे। किन्तु इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने आवेदन में अपीलकर्त्ता ने बीमार होने संबंधी किसी प्रकार का तर्क नहीं रखा है। अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से इस बात की जाँच नहीं हो सकती कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध क्या आरोप एवं साक्ष्य थे, किन्तु प्रज्ञगत आदेश के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि यह आदेश वैधानिक कसौटी पर त्रुटिपूर्ण है। अपीलकर्त्ता के स्पष्टीकरण को मात्र भ्रामक और असंतोषजनक करार दिया गया है और प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के मन्तव्य और जिला पदाधिकारी के सामान्य निदेश को मूल आधार बनाया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी ने मामले की गुण-दोष का विवेचन नहीं किया और न ही साक्ष्यों का परीक्षण किया। ऐसे आदेश का वैधानिक समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रज्ञगत आदेश को set aside करते हुए इस वाद को पुनः अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष रिमिट किया जाता है और उन्हें निदेश दिया जाता है कि अधिकतम एक माह के भीतर इस मामले की दुबारा सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 899 / विधि, दिनांक 2.4.2013।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

परीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
3/4/13